

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- मुण्डनवाडा कलां

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा
72/2018

रजू दिनांक
27.03.2018

निर्णय दिनांक
11.05.18

. अनुवान

1. रामावतार पुत्र भूरेलाल जाति जाट निवासी शहजादपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०।

:-वादी

बनाम

1. जुगमाल पुत्र हरदयान
2. राजेन्द्र पुत्र जुगमाल निवासी शहजादपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०।
:-असल प्रतिवादीगण
3. ओमप्रकाश पुत्र मंगल जाति जाट
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र शुभराम जाति जाट निवासी शहजादपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०।
5. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा राजवाडा तह० मुण्डावर जिला अलवर राज० जर्गे प्रबन्धक।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बहरोड तह० बहरोड जर्गे शाखा प्रबन्धक
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तह० मुण्डावर जर्गे प्रबन्धक

:-प्रतिवादीगण

दावा-हु० ई० दवामी
अर्न्तगत धारा 188 राज०
काश्तकारी अधि० सन् 1955

-:अन्तिम पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 11.05.2018

वादी की ओर से श्री अखिलेश कौशिक वकील वादी व प्रतिवादी की ओर से श्री अशोक चौधरी द्वितीय एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 11.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के



उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी खसरा नं० 120/0.21 है० के 3/21 भाग वाके ग्राम शहजादपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर के बाबत डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से सदैव-2 के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादी की हिस्से आराजी में जबरन प्रवेश ना करे ना रुडी धांसे आदि डाले ना ही आराजी का कोई जूज काटकर आराजी को सकरा ही करे एवं वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना करे पाबंद रहे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 11.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान) 11.05.18
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०